मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या २०६/२०१९,
श्रीमती विमला यादव पत्नी श्री लल्लू यादव उम्र ६२ वर्ष निवासी ग्राम पचार पोस्ट बझेरा थाना चिरगाँव तहसील मोंठ जिला झाँसी, उ.प्र.

---------याचिया

प्रति

१. अनुराग पुत्र श्री रमेश निवासी ग्राम १३९ गढ़मऊ थाना बड़ागॉव तहसील व जिला झाँसी उ.प्र.

.......चालक ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

२. राकेश कुमार साहू पुत्र श्री नन्दराम साहू निवासी ५२०/२ कोछाभाँवर ,झॉसी तहसील व जिला झाँसी उ.प्र.

..........पंजीकृत स्वामी ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वितीय तल, ४ मेरीगोल्ड, शाहनजफ रोड, लखनऊ जरिए क्लेम इंजार्ज चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड- श्रीराम वाटिका हाउस नं. एस-१०/६ए-११, मकबूल आलम रोड, श्रीकान्त नगर कालोनी, वाराणसी जिला वाराणसी, उ.प्र.-२२१००२

..........बीमाकर्ता ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

----------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री राकेश चन्द्र साहू
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

<u>०१.११.२०२०</u>

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याची जरिये संरक्षक पिता व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण के वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये।

याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २९बी पर याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को न्यायाधिकरण के वर्चुअल न्यायालय में सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २९बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में आज न्यायाधिकरण द्वारा वर्चुअल न्यायालय में तस्दीक किया गया। २९बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ६,००,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २९बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा २९बी में दर्शित कुल ₹ ६,००,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा २९बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका सुलहनामा २९बी के अनुसार निर्णीत की जाती है।सुलहनामा २९बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचिया को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ६,००,००० (छैः लाख) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.सी. सं. SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचिया श्रीमती विमला यादव आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.04 14:31:05 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi